



दृक्म या कायवाही मय इनिशियलस जज

75/2016

पंचनामा

25/4/16

वकील उपपक्ष उक्त जवाब
प्राप्ता हुं न्यायहित में पुनः
मक्तिन मयसत रिफा जाकर
दिनांक 17-5-18 को प्रेष हुं तब तक
पुनः आदेश प्रस्तावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

17-5-18

पंचायती राज (स) लोक आदेश
न्याय आपके उप-2010 केम्प कोर्ट
पुस्तकालय कला में प्रेष हुं
अध्यापी अमीनन्द उक्त प्रस्तुत
प्रकार में जवाब प्राप्त दिनांक
14-9-2016 से फेडिशन चला रहें
अतः अध्यापीगण एमएल का जवाब
प्राप्त बन्द किया जाता है। पुंति
प्रकार में न्यायालय उप दिनांक
22-7-16 को अध्यापीगण के विरुद्ध
अन्तर्गत अध्यापी विवेधावा आदेश
जारी किया गया है।

देवा चन्द्राचार्य

पंचनामा-2016



पंचायती का आदेशों को फिल
आप वक्तु बधु मन्त अध्यापीगण
को वा फिल्ल गूळ वाद अध्यापी
विवेधावा 6 पाषण्ड किया जाता है
के मुक्ति खण्ड 402 रकबा 0.04
वकिगत पुलकोट तहसील विराटनगर
को शांति पूर्वक कायित रहका कारतक
देवे तथा - उपयोग उपयोग में को

मकान नंबर
उपखण्ड 3
75/2016
मजहमत
जबल के
मजहमत
पंचायती
वकील

भारत के न्यायिक प्रणाली का संकेत

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर
75/20/6 प्राथमिक

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

मजदूरों को पैसे नहीं दिए जाएंगे तथा
जब तक वे काम नहीं करते। निर्दिष्ट
मजदूरों को काम में लाना तथा
पगारों को देना शुरू होना चाहिए
तकनीक हमकिस पर है।

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)